भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4242

जिसका उत्तर 01.04.2026 को दिया जाना है

यातायात की बढ़ती समस्या और वैध पार्किंग हेतु दिशानिर्देश

4242. श्री नीरज डांगीः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के प्रमुख शहरों में यातायात की बढ़ती समस्या का एक मुख्य कारण वैध पार्किंग की उपलब्धता के संबंध में झूठे शपथपत्र के आधार पर वाहनों का पंजीकरण कराना है, और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या अधिकतर चार पहिया वाहन खरीददार बैंकों, गैर-सरकारी वित्तीय संस्थानों या फाइनेंस कंपनियों से ऋण लेते हैं;

(ग) क्या बैंक ऋण संस्वीकृत करते समय वाहन खरीददारों से वैध पार्किंग की उपलब्धता का शपथपत्र लेते हैं, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार इस संबंध में वित्तीय संस्थानों के लिए कोई दिशानिर्देश जारी करने या निर्देश देने का विचार रखती है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) शहरी क्षेत्रों में यातायात जाम एक बड़ी समस्या है। तथापि, वाहन प्रयोक्ताओं द्वारा वैध पार्किंग की उपलब्धता के संबंध में झूठे शपथपत्र के साथ वाहनों के पंजीकरण को इस समस्या से जोड़ना संभव नहीं हो सकता है। यातायात जाम के कई कारण हैं, जिनमें अपर्याप्त सार्वजनिक परिवहन, निजी वाहनों का बढ़ता उपयोग और पार्किंग प्रबंधन की कमी शामिल हैं। मोटर यान अधिनियम, 1988 या केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो वाहनों के पंजीकरण के दौरान वैध पार्किंग की उपलब्धता की पुष्टि करने वाले शपथपत्र की आवश्यकता को अनिवार्य बनाता हो। तथापि, राज्य सरकारें देश के प्रमुख शहरों में बढ़ती यातायात समस्याओं को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ख) जी हाँ। कैलेंडर वर्ष 2025 में कुल 45,86,944 चार पहिया वाहन पंजीकृत किए गए, जिनमें से 36,67,927 वाहन, अर्थात् पंजीकृत वाहनों का 79.96%, वित्तीय संस्थानों से बंधक-सह-ऋण करार प्राप्त करने के बाद खरीदे गए थे।

(ग) ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) केंद्र सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****